[2013] 6 एस. सी. आर 285

इंजिनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउसिंल

बनाम

उषा आनंद व अन्य

(2008 की आपराधिक अपील No.387)

29 मई, 2013

[डॉ. बीएस चौहान और दीपक मिश्रा, जे. जे.]

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973- S482- क्षेत्राधिकार- दायरा- प्रतिवादी संख्या 01 के प्रति व तीन अन्य आरोपीगण के विरूद्ध आपराधिक कार्यवाही अन्तर्गत धारा 420, 468/471 भारतीय दण्ड संहिता- सभी आरोपियों ने अपने दावे पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अपीलार्थी जो वाणिज्य मंत्रालय के तहत एक चैनेलाइजिंग उद्योग है, के साथ पैसे जमा करवाए थे- प्रतिवादी संख्या 01 के पति के विरूद्ध मुकदमा उसकी मृत्यु होने पर उपशमित हो गया- बाकि तीन आरोपी दोषमुक्त किए गए- दोमुक्ति के बाद उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें जमा की गई राशि के रिफण्ड का अनुतोष दिया गया- प्रतिवादी संख्या 01 का अपने स्वर्गीय पति हेतु समान दावा किया गया- उच्च न्यायालय द्वारा धारा 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता के क्षेत्राधिकार

का प्रयोग करते हुए स्वीकार किया गया- अपीलार्थी का तर्क है कि प्रतिवादी संख्या 01 के पति द्वारा राशि न्यायालय के आदेश की पालना में जमा नहीं करवाई गई थी बल्कि अपनी इच्छा से गिरफ्तारी से बचने के लिए करवाई गई थी और इसी लिए वह राशि धारा 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत लौटाई नहीं जा सकती है- माना गया कि; रिकॉर्ड पर आई साक्ष्य के आधार पर यह साफ है कि प्रतिवादी संख्या 01 के पति द्वारा अपनी इच्छा से अपीलार्थी के साथ राशि जमा करवाई गई थी- जमानत की शर्त के रूप में राशि जमा करवाना और गिरफ्तारी से बचने के लिए अपनी इच्छा से एजेंसी में राशि जमा कराना दो अलग- अलग श्रेणी में आएंगे- बाद में किया गया कार्य का न्यायालय की कार्यवाही से कोई लेना- देना नहीं है- धारा 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता का प्रयोग नहीं किया जा सकता था क्योंकि अपीलार्थी द्वारा किया गया कार्य एक प्रशासनिक कार्यवाही थी और इसीलिए उसको चुनौती केवल रिट के माध्यम से की जा सकती थी, धारा 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता की अन्तरनिहित शक्तियों के तहत अनुतोष मांगने से नहीं- अपीलार्थी को रिट याचिका के जरिए उच्च न्यायालय के समक्ष जाने की स्वतंत्रता दी गई- दण्ड संहिता 1860- S420, 468, 471

'Y' पहले प्रतिवादी का पति औटोमेटिव घटकों का व्यापारी निर्यातक थे। केंद्रीय जांच ब्यूरों द्वारा उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420, 468/471 के तहत दण्डनीय अपराधों के मुकदमे दर्ज किए गए।

उसके तीन भाइयों 'A', 'S' और 'SU' के विरूद्ध भी समान मुकदमे दर्ज किए गए।

'Y' ने अपने दावे पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अपीलार्थी- इंजिनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउसिंल (EEPC) जो वाणिज्य मंत्रालय के तहत एक चैनेलाइजिंग उद्योग है, के साथ 22 लाख रूपए की राशि जमा करवायी थी आैर यह अनुरोध किया था कि वह केंद्रीय जांच ब्यूरो से अनुरोध करे कि उसके विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जाए। बाकि तीन भाइयों द्वारा भी उपरोक्त एजेंसी के साथ इसी तरह राशि जमा करवाई गई थी। चारों भाइयों के खिलाफ अलग- अलग मामलों में विचारण चला और आखिरकार, विचारण न्यायालय ने संदेह का लाभ देकर 'A', 'S' और 'SU' को सभी मामलों में बरी कर दिया। जहां तक प्रथम प्रतिवादी के पति का सवाल है, उनके विचारण के खत्म होने से पूर्व ही देहोन्ेत होने जाने से उनके खिलाफ कार्यवाही उपशमित कर दी गई। तीनों भाइयों को बरी करने के फैसले के खिलाफ सीबीआई ने अपीलें कीं, जिन्हें खारिज कर दिया और बरी किए जाने की पुष्टि के फैसले पर कोई अपील नहीं की गई। तत्पशचात उनके द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष अपेेक्षित आवेदन दायर करके राशि की वापसी का दावा किया, जिन्होंने राशि की वापसी का निर्देश दिया।

चूंकि विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश के बावजूद राशि वापस नहीं की गई, तो भाइयों में से एक ने उच्च न्यायालय के समक्ष आवेदन

पेश किया, जिसने एक आदेश पारित कर वतर्मान अपीलकर्ता को राशि वापस करने का निर्दश दिया। इसके बाद, पहले प्रतिवादी ने समान आवेदन इस प्रार्थना के साथ उच्च न्यायालय के समक्ष दायर किया कि अपीलार्थी को 22 लाख रुपये की राशि रिफण्ड करने हेतु निर्देषित किया जाए, जो उसके स्वर्गीय पति 'Y' ने जमा करवाए थे, जो आवेदन स्वीकार किया गया।

हस्तगत अपील में अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए तर्क दिए है कि 1) प्रतिवादी के पति ने स्वयं अपीलकर्ता के पास राशि जमा की थी और किसी न्यायालय के आदेश की पालना या अनुसरण में नहीं तथा उसका जमानत के लाभ से भी कोई संबंध नहीं है। 2) उच्च न्यायालय समता के सिद्धांत को लागू करके गंभीर त्रुटि में पड़ गया है जो दू र तक लागू नहीं होता है; और 3) जब जमानत की शर्त के रूप में एक राशि जमा कराई जाती है, तो उसे बरी होने के बाद लौटा दिया जाता है, लेकिन जब कोई राशि किसी की इच्छा से जमा की जाती है, तो उसे आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत वापस करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता है।

अपील स्वीकार करते हुए न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि-

01- उच्च न्यायालय संहिता की धारा 482 के तहत अपनी अन्तरनिहित शक्तियों का प्रयोग कर रहा था। उच्च न्यायालय द्वारा पारित

आदेश का आधार यह है की प्रथम प्रतिवादी के स्वर्गीय पति ने गिरफ्तारी से बचने के लिए राशि जमा करवाई थी और इसी तरह के आरोपी व्यक्तियों को बरी कर दिया गया था और उन्हें विचारण न्यायालय द्वारा रिफण्ड की राहत दी गई थी जिसे उच्च न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 482 के तहत दोहराया गया था इसलिए उसके साथ भी ऐसा ही समान व्यवहार किया जाना चाहिए। (पैरा 11)(294- H; 295- A- B)

02- संहिता की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय को प्रदत्त असीमित मनमाना क्षेत्राधिकार जैसा कुछ नहीं है। शक्ति का प्रयोग संयमपूर्वक और सावधानीपूवर्क किया जाना चाहिए, जहां ऐसा प्रयोग धारा में निर्धारित परीक्षणों द्वारा उचित ठहराया जाता है। यह सुस्थापित है कि धारा 482 उच्च न्यायालय को कोई नई शक्ति प्रदान नहीं करती है, बल्कि केवल अन्तरनिहित शक्ति को बचाती है जो अदालत के पास संहिता के अधिनियमन से पहले थी। तीन परिस्थितियाँ हैं जिनके तहत अन्तरनिहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया जा सकता है, अर्थात, (i) संहिता के तहत किसी आदेश को प्रभावी करने के लिए, (ii) न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए, और (iii) अन्यथा न्याय सुरिक्षत करने के लिए।

उक्त मामले में, दो- न्यायाधीशों की पीठ ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्ति के तहत प्रयोग और संहिता के तहत शक्ति के बीच अंतर बताया। (पैरा 15 और 16)(297- A- F)

03- मौजूदा मामले में, उच्च न्यायालय ने, जैसा कि यहां पहले कहा गया है, बरी करने के फै सले और गिरफ्तारी से बचने के लिए अपीलकर्ता के पास पैसे जमा करने पर जोर दिया गया है। जहां तक उपशमन के कारण दोषमुक्ति के फैसले का सवाल है, इस प्रकृति के मामले में दोषमुक्ति का क्या प्रभाव होगा, इस पर ध्यान देना आवश्यक नहीं है। दूसरा मुद्दा महत्वपूर्ण होने के कारण इस पर गहराई से विचार करने की आवश्यकता है। स्वर्गीय यशपाल आनंद ने अपीलकर्ता को क्रमशः 25.8.1994 और 30.8.1994 को दो पत्र लिखे थे। उपरोक्त सूचना से, यह स्पष्ट है कि पैसा प्रथम प्रतिवादी के पति द्वारा अपीलकर्ता के पास अपनी इच्छा से राशि जमा करवाई गई थी। उच्च न्यायालय ने पाया कि अन्य तीन भाइयों ने समान परिस्थितियों में राशि जमा की थी और इसलिए, उनके बरी होने के बाद राशि वापस करने का निर्देश दिया गया था। हाई कोर्ट ने अपने पहले के आदेश का हवाला दिया है जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि पैसा जमानत की शर्त के रूप में जमा किया गया था। जमानत की शर्त के रूप में किसी भी राशि का जमा करना और गिरफ्तारी से बचने के लिए भी स्वयं एजेंसी के पास जमा करना दो अलग स्तर पर होगा। बाद की कारर्वाई का अदालत की कायर्वाही से कोई लेना- देना नहीं है. इस प्रकार

संहिता की धारा 482 का प्रयोग अपीलकर्ता द्वारा की गई कार्रवाई के रूप में नहीं किया जा सकता था, वाणिज्य मंत्रालय के तहत एक चैनलाइजिंग उद्योग पूरी तरह से एक प्रशासिनक कारर्वाई है और इसलिए, हमारी सुविचारित राय है कि ऐसा केवल रिट याचिका के माध्यम से चुनौती देकर किया जा सकता है, न कि संहिता की धारा 482 के तहत अन्तरनिहित शक्ति का उपयोग कर राहत देने की मांग कर। (पैरा 18 और 20)(297- G- H; 298- A- B)(299- F- H; 300- A)

04- नतीजतन, अपील स्वीकार की जाती है, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया जाता है और अपीलकर्ता को रिट याचिका के माध्यम से उच्च न्यायालय में जाने की स्वतंत्रता दी जाती है। यदि कोई रिट याचिका दायर की जाती है, तो उस पर गुण- दोष के आधार पर निपटारा किया जाएगा। (पैरा 21)(300- B- C)

न्यायिक दृष्टांत का संदर्भ

1960 एस. सी. आर. 388- पैरा 12

AIR 2005 एस. सी. 4135- पैरा- 13

(2005) 9 एस. सी. सी 161- पैरा- 15

2008 (4) एस. सी. आर. 701- पैरा- 16

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकारः आपराधिक अपील नं. 387/2007

उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के आपराधिक M.C. No. 540/2004, आपराधिक विविध (M) नं. 3009/2003, आपराधिक M No. 6349/06, आपराधिक MM No. 3009/2003 में सपठित आदेश व अंतिम निर्णय दिनांकित 01- 06- 2006 से उत्पन्न।

अमित सिंह चटढा, संगीता मंडल, कुणाल सिन्हा, फॉक्स मंडल एण्ड कंपनी- अपीलार्थी की ओर से।

आर. नेधुमरण, चंद्रकुमार, बीके प्रसाद, सोनल जैन, तनम्य अग्रवाल (विनय गर्ग के लिए), पी. परमेश्धरन- प्रतिवादी की ओर से।

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, द्वारा दिया गया।

दीपक मिश्रा, जे.

1 इस अपील में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा क्रिमीनल मिस्लेनियस नं. 540/2004, क्रिमीनल मिस्लेनियस (M) नं. 3009/2003, क्रिमीनल मिस्लेनियस (M) नं. 6349/2006, क्रिमीनल मिस्लेनियस (M) नं. 3009/2003 में पारित आदेश दिनांक 1.6.2006 और 4.7.2006 को चुनौती दी गई है।

2. जिन तथ्यों को प्रदर्शित करना आवश्यक है, वे यह हैं कि प्रथम प्रतिवादी के पति, स्वगीर्य यशपाल आनंद, ऑटोमोटिव घटकों के एक व्यापारी नियार्तक थे और मैसर्स आनंद क्राफट सेंटर के नाम और शैली में व्यापार कर रहे थे। कें द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने वर्ष 1994 में

भारतीय दंड संहिता (संक्षेप में "आईपीसी") की धारा 420, 468/471 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए उनके विरूद्ध छह मामले दर्ज किए। समान प्रकृति व समान संख्या के मामले उनके भाइयों अशोक, सतीश और सुभाष के खिलाफ दर्ज किए। चारों आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आरोपों को बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि विवाद पूरी तरह से एक अलग क्षेत्र से संबंधित है। जैसा कि तथ्यात्मक मैट्रिक्स में प्रदर्शित किया गया है, स्वगीर्य यशपाल आनंद ने वाणिज्य मंत्रालय के तहत एक चैनलाइजिंग उद्योग, इंजिनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (ईईपीसी) के साथ 22 लाख रुपये की राशि जमा की थी। अन्य तीन भाइयों ने भी उक्त एजेंसी में रकम जमा की थी चारों भाइयों के खिलाफ अलग- अलग मामलों में विचारण चला और आखिरकार, विचारण न्यायालय ने संदेह का लाभ देकर अशोक, सतीश और सुभाष को सभी मामलों में बरी कर दिया। जहां तक प्रथम प्रतिवादी के पति का सवाल है, उनके विचारण के खत्म होने से पूर्व ही देहोने्त होने जाने से उनके खिलाफ कार्यवाही रद्द की गई। तीनों भाइयों को बरी करने के फैसले के खिलाफ सीबीआई ने अपीलें कीं, जिन्हें 27.5.2002 को खारिज कर दिया और बरी किए जाने की पुष्टि के फैसले पर कोई अपील नहीं की गई। तत्पशचात उनके द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष अपेेक्षित आवेदन दायर करके राशि की वापसी का दावा किया, जिन्होंने दिनांक 13.8.2001 के आदेश द्वारा राशि की वापसी का निर्देश दिया। विचारण न्यायालय द्वारा राशि रिफंड किए जाने के संबंध यह कारण

बताया गया कि उक्त राशि आरोपी व्यक्तियों द्वारा जमानत आदेश की शर्तों के अनुपालन में जमा की गई थी और यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि आरोपी व्यक्तियो ने अपने अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना पैसा जमा किया और चूंकि उन्हें दोषमुक्त कर दिया गया है इसलिए वे ईईपीसी के साथ जमा राशि का रिफण्ड पाने के हकदार है।

3. चूंकि विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश के बावजूद राशि वापस नहीं की गई, तो भाइयों में से एक ने आपराधिक मिस्लेनियस (M) नं. 3541/2001 उच्च न्यायालय के समक्ष पेश की गई, जिसने एक आदेश पारित कर वतर्मान अपीलकर्ता को राशि वापस करने का निर्दश दिया। आपराधिक मिस्लेनियस (M) नं. 3541/2001 में पारित आदेश दिनांक 5.10.2001 का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:-

> "मेरे सामने जो सवाल उठाया जा रहा है, वह यह है कि क्या दिनांक 12.10.1994 के आदेशों की पालना मे आरोपी व्यक्तियों द्वारा दूसरे प्रतिवादी के साथ जमा करवाई गई राशि जो जमानत की शर्त के रूप में करवाई गई थी तथा याचिकाकर्ता को विचारण के बाद दिनांक 22.6.2001 को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया है, तो क्या वह न्यायालय के आदेश द्वारा दूसरे प्रतिवादी के साथ जमा करवाई गई जमानत की शर्त के रूप में राशि प्राप्त करने का

अधिकारी है? सीबीआई के विद्वान वकील ने कथन किया है कि सीबीआई के पास पैसा नहीं है और पैसा दूसरे प्रतिवादी के पास जमा किया गया था इसलिए के वल दू सरे प्रतिवादी को ही पैसा वापस करने का निर्देश दिया जा सकता है।

मैंने पक्षकारों के विद्वान वकीलों को सुना, दूसरे प्रतिवादी ने उपस्थित नहीं होने का विकल्प चुना है, मैं निर्देष देता हूं कि याचिकाकर्ता द्वारा इस न्यायालय के आदेश के अनुसार दूसरे प्रतिवादी के पास जमा राशि जिस आदेश दिनांक 13.8.2001 के द्वारा वापस करने का निर्देष दिया गया था, इस आदेश की तामिल की तारीख से दो सप्ताह की अवधि के भीतर वापस कर दी जाए।"

4. इसके बाद, पहले प्रतिवादी ने आपराधिक मिस्लेनियस (M) नं. 3009/2003 इस प्रार्थना के साथ दायर की कि दूसरे प्रतिवादी को 22 लाख रुपये की राशि रिफण्ड करने हेतु निर्देषित किया जाए क्योंकि वह एक मात्र कानूनी उत्तराधिकारी थी तथा सभी मुकदमों में आरोप बिना किसी अपवाद के एकसमान थे तथा विचारण न्यायालय ने दिनांक 13-08-2001 के आदेश के जरिए अन्य भाईयों के प्रार्थना पत्र स्वीकार किए थे, एक भाई द्वारा आपराधिक मिस्लेनियस (M) नं. 3541/2001 उच्च

न्यायालय के समक्ष दायर की गई जो दिनांक 05-10-2001 को निर्देष के साथ निस्तारित की गई कि प्रतिवादी जमा राशि दो हफ्ते के भीतर रिफण्ड कराएगा तथा यह कि चूंकि उसके पति के विरूद्ध मुकदमा समाप्त हो गया था तो वह पूर्व में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाई थी, यह कि विचारण के समाप्त होने के बाद उसने प्रतिवादी के अधिकारियों से सम्पर्क किया किंतु इस न्यायालय के पूर्व निर्देषों के बावजूद व राशि रिफण्ड करने की विधिक दायित्व होने पर भी उनके द्वारा अदासीनता दर्शायी गई व राशि रिफण्ड नहीं की गई, यह कि वह जमा राशि वापस पाने की हकदार थी।

5. उच्च न्यायालय ने प्रथम प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर विचार किया और 3.12.2003 को निम्नलिखित आदेश पारित किया: -

> "समान याचिका अर्थात आपराधिक मिस्लेनियस (M) नं. 3541/2001 दिनांक 15.10.2001 को एक आदेश पारित किया गया था जिसमें प्रतिवादी को तामिल की तारीख से दो सप्ताह की अवधि के भीतर उस याचिका के याचिकाकर्ता द्वारा जमा किए गए धन को वापस करने का निर्देश दिया गया था।
>
> चूँकि इस मामले में भी प्रतिवादी संख्या 2 को तामील किया गया है, इसलिए वही आदेश पारित करने की आवश्यकता

है। याचिकाकर्ता द्वारा जमा की गई राशि आज से दो सप्ताह की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता को वापस कर दी जाए।

6. उपरोक्त आदेश से क्षुब्ध होकर स्पेशल लीव पिटिशन (क्रिमीनल नं. 41/2004 इस न्यायालय के समक्ष दायर की गई थी, जिसे अंततः आपराधिक अपील संख्या 1085/2004 में परिवर्तित कर दिया गया था। इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त आपराधिक अपील में दिनांक 27.9.2004 को निम्निलिखित आदेश पारित किया:-

> "वतर्मान अपीलकर्ता को, यदि उन्हें सलाह दी जाती है, तो आज से तीन सप्ताह के भीतर उच्च न्यायालय में आपराधिक विविध (मुख्य) संख्या 3009/2003 में याचिका पर अपनी आपत्तियां, यदि कोई हो तो दर्ज करने दें। यदि कोई आपत्ति दायर की जाती है, तो उस पर उच्च न्यायालय द्वारा उक्त आपत्ति के गुण- दोष के आधार पर विचार किया जाएगा, जिसके बारे में हम कोई राय व्यक्त नहीं कर रहे है। आपराधिक विविध (मुख्य) संख्या 3009/2003 को उसकी निस्तारण के पूर्व दिनांक 3.12.2003 की मूल स्थिति में बहाल किया जाता है। यदि कोई आपत्ति दर्ज नहीं की जाती है तो दिनांक 3.12.2003 को पारित आदेश प्रभावी रहेगा। अपीलकर्ता को जवाब

दाखिल करने की जो स्वतंत्रता दी गई है, वह सीबीआई पर भी लागू होगी।

यह आदेश प्रतिवाद के इस रुख के बावजूद पारित किया गया है कि अपीलकर्ता को कोई भी आपत्ति दर्ज करने की पूर्ण स्वतंत्रता दी गई थी जिसका वे लाभ उठाने में विफल रहे है। चूंकि एक विशिष्ट रुख अपनाया गया है कि अपीलकर्ता आपत्तियां दायर करना चाहता था जिसके लिए उसे कोई अवसर नहीं दिया गया था, इसलिए हमने वतर्मान आदेश पारित किया है।"

7. उपरोक्त आदेश के बाद एक आपत्ति दायर की गई और उच्च न्यायालय ने विवाद से निपटते हुए दिनांक 13.8.2001 के विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश का हवाला देते हुए, जिसमें आरोपी व्यक्तियों के संबंध में राशि रिफण्ड करने का निर्देष दिया गया था, और दिनांक 5.10.2001 को पारित आदेश के संदर्भ में जिसे यहां ऊपर प्रस्तुत किया गया है, और उसके बाद, जैसा कि आक्षेपित आदेश से स्पष्ट है, उसमें स्वर्गीय यशपाल आनंद द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 को लिखे गए पत्र दिनांक 30- 08- 1994 के एक भाग को प्रस्तुत किया गया है तथा यह गौर किया गया है कि:-

"बेशक, अन्य तीन भाइयों ने भी समान परिस्थितियों में राशि जमा करवाई थी। बरी होने के बाद जब उन्होंने अपने द्वारा जमा करवाई गई राशि के रिफण्ड के लिए विचारण न्यायालय में आवेदन किया तो विचारण न्यायालय राशि रिफण्ड करने के निर्देश दिये। राशि रिफण्ड का आदेश पारित करते समय विद्वान विचारण न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह पाया कि राशि जमानती की शर्त की अनुपालना में जमा करवाई गई थी और आरोपी के पैसे वापस पाने के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जमा करवाई गई थी। मैं यह समझने में असफल हूं कि याचिकाकर्ता के साथ समान व्यवहार क्यों नहीं किया जाना चाहिए।"

8. इस दृष्टिकोण के चलते, उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि एक बार जब उसके खिलाफ कार्यवाही समाप्त कर दी गई, तो यह तर्क नहीं दिया जा सकता है कि मामले में दोषसिद्धी हो सकती थी, जब समान आरोपों पर अन्य भाइयों के विरूद्ध मुकदमों का परिणाम दोषमुक्ति था और अपीलें खारिज कर दी गई थी। परिणामस्वरूप, याचिका स्वीकार की गई प्रतिवादी संख्या 2 को चार सप्ताह की अवधि के भीतर राशि रिफण्ड करने का निर्देश दिया गया।

9. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान विरष्ठ वकील श्री अमित सिंह चड्ढा ने इस आधार पर आदेश की गंभीरता से आलोचना की है कि प्रतिवादी के पति ने स्वयं अपीलकर्ता के पास राशि जमा की थी और किसी न्यायालय के आदेश की पालना या अनुसरण में नहीं तथा उसका जमानत के लाभ से भी कोई संबंध नहीं है। उनके द्वारा यह दृढ़तापूवर्क आग्रह किया जाता है कि उच्च न्यायालय समता के सिद्धांत को लागू करके गंभीर त्रुटि में पड़ गया है जो दू र तक लागू नहीं होता है। उनके द्वारा प्रचारित किया गया है कि जब जमानत की शर्त के रूप में एक राशि जमा कराई जाती है, तो उसे बरी होने के बाद लौटा दिया जाता है, लेकिन जब कोई राशि किसी की इच्छा से जमा की जाती है, तो उसे आपराधिक प्रक्रिया संहिता (संक्षेप में "संहिता") की धारा 482 के तहत वापस करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता है।

10. प्रतिवादी संख्या 2 के विद्वान वकील ने इसके विपरीत यह तर्क दिए कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश बिल्कुल बचाव योग्य है क्योंकि जब प्रथम प्रतिवादी के पति स्वगीर्य यशपाल आनंद के खिलाफ मुकदमा समाप्त हो गया था, तो उसमें दोषमुक्ति का प्रभाव था और इसलिए उसका परिणाम यह था कि अपीलकर्ता के पास जमा की गई रिफण्ड कर दी जाए। उनका आगे कहना है कि जब सभी के खिलाफ आरोप समान थे और तीन आरोपियों को बरी कर दिया गया था, तो अन्य आरोपी के कानूनी उत्तराधिकारी के साथ अलग तरीके से व्यवहार करने का कोई

औचित्य नहीं था। यह प्रदर्शित किया गया कि स्वर्गीय यशपाल आनंद द्वारा राशि गिरफ्तारी से बचने के लिए और बिना किसी पूवार्ग्रह के जमा की गई थी, जो कि उनके द्वारा अपीलकर्ता को लिखे गए दिनांक 30.8.1994 के पत्र से स्पष्ट है, जिसे उच्च न्यायालय द्वारा उचित रूप से संदर्भित किया गया है और इसलिए आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करना प्रतिवादी को राशि वापस न करने जैसा होगा जिसके परिणामस्वरूप न्याय की हानि होगी।

11. प्रतिद्वद्वी कथनों का विवेचन करने के लिए हमने चिंतन के साथ उच्च न्यायालय द्वार पारित आदेश की जांच की है। निस्संदेह, उच्च न्यायालय संहिता की धारा 482 के तहत अपनी अन्तरनिहित शक्तियों का प्रयोग कर रहा था। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का आधार यह है की प्रथम प्रतिवादी के स्वर्गीय पति ने गिरफ्तारी से बचने के लिए राशि जमा करवाई थी और इसी तरह के आरोपी व्यक्तियों को बरी कर दिया गया था और उन्हें विचारण न्यायालय द्वारा रिफण्ड की राहत दी गई थी जिसे उच्च न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 482 के तहत दोहराया गया था इसलिए उसके साथ भी ऐसा ही समान व्यवहार किया जाना चाहिए।

12. उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की तर्क संगतता की सराहना करने के लिए संहिता की धारा 482 के तहत शक्ति का प्रयोग करते समय उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को समझना आवश्यक है। *आरपी कपूर बनाम पंजाब राज्य* में, तीन- न्यायाधीशों की पीठ पुराने कोड की धारा

561ए के तहत उच्च न्यायालय की अन्तरनिहित शक्ति के दायरे से संबंधित कार्य कर रही थी। उस संदर्भ में, यह देखा गया है कि उच्च न्यायालय ने कहा है कि अन्तरनिहित शक्ति, जो आवश्यक हो, संहिता के तहत किसी भी आदेश को प्रभावी बनाने या किसी भी अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने या अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए है।

13. पंजाब राज्य बनाम कस्तूरी लाल और अन्य मे संहिता की धारा 482 के तहत शक्ति के प्रयोग के संबंध में न्यायालय ने यह पाया कि यह धारा उच्च न्यायालय को कोई न्रइ शक्ति प्रदान नहीं करती है यह केवल उस अन्तरनिहित शक्ति को बचाता है जो संहिता के लागू होने के पहले न्यायालय के पास थी।

14. इतना कहने के बाद यह निर्धारित किया गया है कि इसमें तीन परिस्थितियों की परिकल्पना की गई है जिसके तहत अन्तरनिहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया जा सकता है, अर्थात (i) संहिता के तहत किसी आदेश को प्रभावी करने के लिए, (ii) न्यायालय में प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए, और (iii) अन्यथा न्याय के उद्देश्य को सुरिक्षत करने के लिए किसी भी अनम्य नियम को निधारित करना न तो संभव है और न ही वांछनीय है जो अन्तरनिहित क्षेत्राधिकार के उपयोग को नियत्रित करेगा। प्रक्रिया से संबंधित कोई भी विधायी अधिनियम

संभवतः उत्पन्न होने वाले सभी मामलों के लिए प्रावधान नहीं कर सकता है। इसलिए, अदालतों के पास कानून के स्पष्ट प्रावधानों के अलावा अन्तरनिहित शक्तियोंं है जो कानून द्वारा उन पर लगाए गए कार्यों और कतव्र्यों के उचित निर्वहन के लिए आवश्यक हैं। यह वह सिद्धांत है जो उस अनुभाग में अभिव्यक्ति पाता है जो के वल उच्च न्यायालयों की अन्तरनिहित शक्तियों को पहचानता है और संरिक्षत करता है।

15. इस प्रसंग में, हम *यूपी राज्य और अन्य बनाम सुरेंद्र कुमार* का संदर्भ ले सकते हैं, जिसमें अपीलकर्ता- राज्य ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश की आलोचना की थी, जिन्होंने, संहिता की धारा 482 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए, अपने पहले के आदेश को संशोधित करते हुए प्रतिवादी- राज्य और उसके पदाधिकाियों को रेलवे स्टेशन पर या सिटी बुकिंग एजेंसी की हिरासत में पड़े सामान की तलाशी और जब्ती नहीं करने का निर्देश दिया था जो आवेदक को कंसाइनी को उनकी डिलीवरी से पहले और सिटी बुकिंग एजेंसी के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करने का भी निर्देश था। दो विद्वान न्यायाधीशों ने राय दी कि उच्च न्यायालय आदेश को संशोधित नहीं कर सकता था क्योंकि यह समीक्षा के समान था। इस तर्क को खारिज करते हुए कि उच्च न्यायालय ने के वल उक्त उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के फै सले के अनुसार कार्य किया था, दो- न्यायाधीशों की बेंच ने निम्नानुसार कहा: -

"उस आदेश में संशोधन के लिए एक आवेदन की आड़ में, प्रतिवादी एक आवेदन दायर नहीं कर सकता है जो वास्तव में अन्य राहतों के लिए प्रार्थना करने वाला एक समीक्षा आवेदन था। फिर भी उच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित किया जिसमें अपीलकताओं को निर्देश दिया गया कि वे कंसाइनियों को डिलीवरी से पहले रेलवे स्टेशन पर या आवेदक की सिटी बुकिंग एजेंसी की हिरासत में पड़े सामान की तलाशी न लें और उसे जब्त न करें। यह भी निर्देश दिया गया कि अपीलकर्ता सिटी बुकिंग एजेंसी के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये ऐसे मामले हैं जो पूरी तरह से धारा 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत आवेदन के दायरे से परे थे और अगर, हम ऐसा कह सकते हैं, तो धारा 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से परे थे। यह किसी अदालत द्वारा पारित किसी आदेश से उत्पन्न नहीं हुआ है, न ही अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग का कोई आरोप था, न ही यह किसी पक्ष के साथ हुए स्पष्ट अन्याय का मामला था। जैसा निर्देश उच्च न्यायालय ने अपने विवादित आदेश में दिया है, वैसा निर्देश उच्च न्यायालय द्वारा उचित मामले में अपने रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए दिया जा

सकता है, न कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत।"

16. डिवाइन रिट्रीट सेंटर बनाम केरल राज्य के मामले में इस न्यायालय के समक्ष जो केंद्रीय विवाद उठा, वह संहिता की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय को प्रदत्त अन्तरनिहित शक्ति के दायरे, सामग्री और सीमा से संबंधित था। जिसमें यह तर्क प्रचारित किया गया था कि संहिता की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार पुलिस द्वारा किसी भी मामले की जांच का आदेश देने के लिए उपलब्ध नहीं है। कई निणर्यों का उल्लेख करने के बाद यह राय दी गई कि: -

"22. हमारे विचार में, संहिता की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय को प्रदत्त असीमित मनमाना क्षेत्राधिकार जैसा कुछ नहीं है। शक्ति का प्रयोग संयमपूर्वक और सावधानीपूवर्क किया जाना चाहिए, जहां ऐसा प्रयोग धारा में निर्धारित परीक्षणों द्वारा उचित ठहराया जाता है। यह सुस्थापित है कि धारा 482 उच्च न्यायालय को कोई नई शक्ति प्रदान नहीं करती है, बल्कि केवल अन्तरनिहित शक्ति को बचाती है जो अदालत के पास संहिता के अधिनियमन से पहले थी। तीन परिस्थितियाँ हैं जिनके तहत अन्तरनिहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया जा सकता है, अर्थात, (i) संहिता के तहत

किसी आदेश को प्रभावी करने के लिए, (ii) न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए, और (iii) अन्यथा न्याय सुरिक्षत करने के लिए।"

17. उक्त मामले में, दो- न्यायाधीशों की पीठ ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्ति के तहत प्रयोग और संहित के तहत शक्ति के बीच अंतर बताया।

18. मौजूदा मामले में, उच्च न्यायालय ने, जैसा कि यहां पहले कहा गया है, बरी करने के फै सले और गिरफ्तारी से बचने के लिए अपीलकर्ता के पास पैसे जमा करने पर जोर दिया गया है। जहां तक उपशमन के कारण दोषमुक्ति के फैसले का सवाल है, इस प्रकृति के मामले में दोषमुक्ति का क्या प्रभाव होगा, इस पर ध्यान देना आवश्यक नहीं है। दूसरा मुद्दा महत्वपूर्ण होने के कारण इस पर गहराई से विचार करने की आवश्यकता है। स्वर्गीय यशपाल आनंद ने अपीलकर्ता को क्रमशः 25.8.1994 और 30.8.1994 को दो पत्र लिखे थे। हम दिनांक 30.8.1994 के पत्र का प्रासंगिक भाग पुनः प्रस्तुत कर रहे हैं: -

"हमारे दावे और विवाद पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, आईपीआरएस का लाभ हमारे द्वारा कानूनी रूप से लिया गया है, हम खुशी से लगभग रु. 7,40,000.00 की राशि दे रहे है, जो देय कुल राशि रु. 27,50,000.00 का

लगभग 27% है जो हमें ईईपीसी को कथित रूप से अदा करनी है। निविदा राशि का विवरण निम्नानुसार है।

1. बैंकर्स चेक नंबर 198929 दि. 27.8.94 रु. 2,80,000/- के नरा बैंक, नई दिल्ली द्वारा जारी।

2. बैंकर्स चेक क्रमांक 198928 दिनांक. 27.8.94 रु. 4,60,000.00/- के नरा बैंक, नई दिल्ली द्वारा जारी।

कृपया यह 7,40,000.00 रु. की राशि विरोध के साथ स्वीकार करें एवं अभिस्वीकृत करे।

हमारे द्वारा बैंकर्स चेक संख्या 198878 दिनांक 25- 08- 1994 राशि 3,60,000/- रू. केनरा बैंक नई दिल्ली द्वारा जारी, के माध्यम से 13% राशि पहले ही दे दी गई है और अब कुल अदा की गई राशि 40% (11,00,000.00 रुपये) है।

वर्तमान में हम गंभीर वित्तीय बाधा में हैं, इसलिए, शेष राशि हमारे द्वारा तुरंत जमा नहीं की जा सकती है। लेकिन फिर भी शेष राशि आपको समय- समय पर सूचित की गई अवधि के दौरान जमा कर दी जाएगी।

उपरोक्त के मद्देनजर आपसे अनुरोध है कि कृपया विशेष जांच शाखा (सीबीआई) को भी तुरंत सूचित करें कि हमारे खिलाफ कारर्वाई न करें।

हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम समय- समय पर आपके साथ पूरा सहयोग करेंगे और आपको यह भी आश्वासन देते हैं कि हमारे द्वारा देय पूरी राशि का भुगतान किया जाएगा। " [Emphasis Added]

19. दिनांक 5.10.1994 को पुनः स्वगीर्य यशपाल आनंद ने एक और पत्र लिखा जिसका प्रासंगिक इस प्रकार है:-

"हमारे द्वारा बैंकर्स चेक संख्या 198878 दिनांक 25-08-1994 राशि 3,60,000/- रू. केनरा बैंक नई दिल्ली द्वारा जारी, के माध्यम से 13% राशि पहले ही दे दी गई है। और बैंकर्स चेक संख्या 198929 दिनांक 27- 08- 1994 के द्वारा 7,40,000/- की 27% राशि और अब कुल अदा की गई राशि 80% (22,00,000.00 रुपये) है।

वर्तमान में हम गंभीर वित्तीय बाधा में हैं, इसलिए, शेष राशि हमारे द्वारा तुरंत जमा नहीं की जा सकती है। लेकिन फिर भी शेष राशि आपको समय- समय पर सूचित की गई अवधि के दौरान जमा कर दी जाएगी। उपरोक्त के मद्देनजर

आपसे अनुरोध है कि कृपया विशेष जांच शाखा (सीबीआई) को भी तुरंत सूचित करें कि हमारे खिलाफ कारर्वाई न करें।

"

[Emphasis Supplied]

20. उपरोक्त सूचना से, यह स्पष्ट है कि पैसा प्रथम प्रतिवादी के पति द्वारा अपीलकर्ता के पास अपनी इच्छा से राशि जमा करवाई गई थी। उच्च न्यायालय ने पाया कि अन्य तीन भाइयों ने समान परिस्थितियों में राशि जमा की थी और इसलिए, उनके बरी होने के बाद राशि वापस करने का निर्देश दिया गया था। हाई कोर्ट ने अपने पहले के आदेश का हवाला दिया है जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि पैसा जमानत की शर्त के रूप में जमा किया गया था। जमानत की शर्त के रूप में किसी भी राशि का जमा करना और गिरफ्तारी से बचने के लिए भी स्वयं एजेंसी के पास जमा करना दो अलग स्तर पर होगा। बाद की कारर्वाई का अदालत की कायर्वाही से कोई लेना- देना नहीं है. इस प्रकार संहिता की धारा 482 का प्रयोग अपीलकर्ता द्वारा की गई कारर्वाई के रूप में नहीं किया जा सकता था, वाणिज्य मंत्रालय के तहत एक चैनलाइजिंग उद्योग पूरी तरह से एक प्रशासिनक कारर्वाई है और इसलिए, हमारी सुविचारित राय है कि एेसा केवल रिट याचिका के माध्यम से चुनौती देकर किया जा सकता है, न कि

संहिता की धारा 482 के तहत अन्तरनिहित शक्ति का उपयोग कर राहत देने की मांग कर।

21. नतीजतन, अपील स्वीकार की जाती है, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया जाता है और अपीलकर्ता को रिट याचिका के माध्यम से उच्च न्यायालय में जाने की स्वतंत्रता दी जाती है। यदि कोई रिट याचिका दायर की जाती है, तो उस पर गुण- दोष के आधार पर निपटारा किया जाएगा। जोर देने की जरूरत नहीं है, देनदारी, रिफंड के अधिकार और अन्य सभी पहलुओं से संबंधित सभी विवाद खुले रखे गए हैं क्योंकि हमने क्षेत्राधिकार के पहलू को छोड़कर किसी भी मुद्दे पर कोई राय व्यक्त नहीं की है। कोस्त के संबंध कोई आदेश नहीं किया जाता है।

B.B.B

अपील स्वीकार।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी **आशा गुनपाल** (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।